राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

सं.6 / डीडीएमए / कोविड–19 / 42 दिनांकः 13.04.2020

आदेश

जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) संतुष्ट है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कोविड–19 महामारी के संक्रमण के कारण चिंतित है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पहले ही वैश्विक महामारी घोषित किया जा चुका है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इस संक्रमण को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने पर विचार किया गया है।

और जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा परिस्थिति से निबटने के लिए समस्त अपेक्षित उपाय अपनाने कि लिए सर्वसंबंधित प्राधिकारियों को समय–समय पर विभिन्न आदेशधनिदेश दिए जा रहे हैं।

और जबकि, सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही निशुल्क सुविधा वाले स्थानों पर बड़ी संख्या में संदेहास्पद / सम्पर्क संबंधी मामले सामने आ रहे हैं, किंतु ऐसे भी मामले हो सकते हैं, जहां कुछ लोग सरकार द्वारा निर्धारित प्रभारों के भुगतान के आधार पर निजी सुविधाओं में क्वारंटीन / अलग रहने की इच्छा रखते हों।

अतः, अब, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के धारा 22 के तहत निहित शक्तियों का अनुपालन करते हुए, राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अध्यक्ष के रूप में अधोहस्ताक्षरी द्वारा सभी जिलाधिकारियों को अधिकृत किया जाता है कि वे अपने–अपने संबंधित जिलों में भुगतान वाली क्वारंटीन सुविधाओं की आवश्यकता और पर्याप्त संख्या का पता लगाएं, जिसका लाभ ऐसे व्यक्तियों द्वारा स्वैच्छिक तथा भुगतान के आधार पर लिया जा सके, जिन्हें किसी संस्थान में क्वारंटीन किया गया हो अथवा जिन्हें घरों में क्वारंटीन किया गया हो अथवा संदेहास्पद / पीड़ित व्यक्ति के सम्पर्क में आने वाले, जो सेल्फ–आइजोलेशन चाहते हों. यह कार्य जिलाधिकारियों द्वारा अपने स्तर पर किया जाना चाहिए, जैसी पद्धति / मॉडल एयरोसिटी एरिया में ऐसी मांग और व्यवस्थाओं के समय अपनाया गया था. यह प्रक्रिया तीन दिन के भीतर पूरी कर ली जानी चाहिए तथा भुगतान वाली क्वारंटीन सुविधाओं की जानकारी सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को दी जानी चाहिए, साथ ही यह जानकारी प्रमुख सचिव (राजस्व) / मंडलीय आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली दिल्ली सरकार को भी दी जानी चाहिए।

(विजय देव)
मुख्य सचिव, दिल्ली

सेवा में,

1. सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

2. समस्त जिलाधिकारी, दिल्ली।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :

1. प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, दिल्ली।

2. अपर सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, दिल्ली।

3. सचिव, माननीय उप–मुख्यमंत्री, दिल्ली।

4. अपर मुख्य सचिव (गृह), दिल्ली।

5. प्रधान सचिव (राजस्व)–सह–मंडलीय आयुक्त, दिल्ली।

6. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय को व्यापक प्रचार हेतु।

7. एसआईओ, एनआईसी को दिल्ली सरकार की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।